प्रकरण संख्या 2/2021 शेष नारायण बनाम सुरेश कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दोली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित (अ) की आराजी नंबर 230, 234 किता 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार (ब) की आराजी नंबर 231, 232 किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा है तथा (स) की आराजी नंबर 233 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/82 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 20/41 हिस्सा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को सुनवाई का बिना अवसर दिये एकपक्षीय विभाजन योजना के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी की खरीद शुदा होकर सभी अपने–अपने हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं इसी अनुसार विभाजन योजन तैयार की जानी चाहिए थी, किन्तु वादी ने पटवारी हल्का से मिलकर गलत विभाजन योजना तैयार कर आप न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार मौके पर काबिज अनुसार विभाजन योजना तैयार की जाने का आदेश फरमावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उ[illegible]पक्षों [illegible] सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15.12.2020 से प्रतिवादी संख्या 1 की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. खारिज करते हुए [illegible]करण में अंतिम डिक्री [illegible] कर दी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:37 IST
Reason: SelfAttested

इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अपील ने मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट राजकीय सेवा में होने से पीपाणा कुम्भलगढ़ में पदस्थापित था, इस कारण तामिल उसके पुत्र को करवा दी एवं उसके बाद एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय विभाजन योजना पेश कर आदेश पारित कर दिया। विभाजन योजना रेकार्ड अनुसार तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मिली भगत से मनमाफिक तैयार की गयी है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने पटवारी से मिली भगत कर राजस्व रेकार्ड से परे जाकर विभाजन योजना बनाकर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारे की अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह आराजी में प्रत्येक खाते में दर्ज खातेदार के हिस्से/अनुपात के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया है। इसके [illegible] हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. हेतु पत्रावली जवाब/बहस दिनांक 15.12.2020 के लिए नियत थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:37 IST
Reason: SelfAttested

उठायी गयी आपत्ति को खारिज करते हुए करते हुए उसी दिनांक को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.12.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार राजसमन्द स्वयं उभयपक्षों की उपस्थिति में पक्षकारों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गयी भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर यदि किसी पक्षकार की आपत्ति है तो उसका निराकरण करते हुए पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 20.02.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:37 IST
Reason: SelfAttested